

परियोजना का नाम :-

जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नौगाँव-पुरोला मोटर मार्ग के कि०मी० 2 से थली गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण।

अपर धमुना वन उभाग, बड़कोट

एन०पी०वी० की धनराशि का आंकलन

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या 5-3/2007 - एफ०सी० दिनांक 05-02-2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन०पी०वी० की देयता निम्नानुसार है :-

1. ईको-क्लास श्रेणी V
2. हरियाली का घनत्व :- 0.50
3. एन०पी०वी० की दर प्रति हे० 8,45,000/-
4. आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल 9.581 हे० (आवेदित वन भूमि 4.0725 हे० + सिमिल भूमि 5.5085 हे०)
5. कुल देय एन०पी०वी० की धनराशि 80,95,945/-

ह०/- प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी प्रभाग
बड़कोट (उत्तरकाशी)



प्रभागीय वनाधिकारी
बड़कोट

तहसिलदार
पुरोला




प्रभागीय वनाधिकारी
पुरोला
उत्तरकाशी

टौंस वन प्रभाग, पुरोला

परियोजना का नाम :- जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नौगोंव-पुरोला मोटर मार्ग के कि०मी० 2 से थली गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण।

एन०पी०वी० की धनराशि का आंकलन

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या 5-3/2007 - एफ०सी० दिनांक 05-02-2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन०पी०वी० की देयता निम्नानुसार है :-

1. ईको-क्लास श्रेणी II
2. हरियाली का घनत्व :- 0.50-0.20
3. एन०पी०वी० की दर प्रति हे० 2.0925-49
4. आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल 2,45,000/-
5. कुल देय एन०पी०वी० की धनराशि 17,68,163/-

ह०/-

प्रभागीय वनाधिकारी
टौंस वन प्रभाग, पुरोला

(कुलनल)

वनक्षेत्राधिकारी
पुरोला

पुरोला

प्रभागीय वनाधिकारी
टौंस वन प्रभाग,
पुरोला

(संदीप कुमार)
उप वन संरक्षक
टौंस वन प्रभाग, पुरोला

पुरोला
उत्तरकाशी

प्रारूप-51

परियोजना का नाम :-

जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नौगाँव-पुरोला मोटर मार्ग के कि०मी० 2 से थली गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण।

एन०पी०वी० की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा० उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में कोई बढ़ोतरी की जाती है तो एन०पी०वी० की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय कर दिया जायेगा।

Reyman

Am
Assistant Engineer
P.M.G.S.Y. Irrigation Division
Purola (Uttarkashi)

A

h
अधिशाली अभियंता
सिंचाई खण्ड, पी.एम.जी.एस.वाई, पुरोला

अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट

प्रारूप-52

परियोजना का नाम :-

जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नौगोंव-पुरोला मोटर मार्ग के कि०मी० 2 से थली गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रस्तावित परियोजना के लिये प्रत्यावर्तित की जाने वाली वन भूमि का आर०सी०सी० पिलरों द्वारा सीमांकन का प्राक्कलन

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि के सीमांकन/सर्वेक्षण हेतु आने वाले व्यय का भुगतान वन विभाग के पक्ष में किया जायेगा।

क्र.स.	कार्य का नाम	इकाई/संख्या	नपत मीटर में			मात्रा	इकाई	दर (रु० में)	धनराशि (रु० में)
			लं०	चौ०	ऊँचाई				
1	आर०सी०सी० पिलर निर्माण हेतु बुनियाद खोदना	01	0.45	0.45	0.15	0.03	cum	243.9	7.31
2	आर०सी०सी० पिलर के बेस पर चुना व कोयला डालना	01				LS @2Kg	Kg	35.00	70.00
3	1:2:4 सीमेंट मसाले में आर०सी०सी० पिलर निर्माण	01	0.45	0.45	0.50	0.10	cum	5741.50	581.32
4	आर०सी०सी० कार्य हेतु सरिया कट करना	4 m 12mm dia				3.52	kg	63.34	222.95
5	पिलर में 1:4 मसाले प्लास्टर कार्य	1 X 4	0.45	0.40	-	0.72	sqm	133.40	96.00
6	पिलर पर पिलर संख्या आदि लिखना	01				LS		10.00	10.00
7	पानी की ढुलाई आदि					N/A			
	कुल योग								987.50

एक पिलर हेतु

रु० 987.50 अथवा रु० 988.00

अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट के क्षेत्र (7850 मी०) में आर०सी०सी० पिलरों की कुल संख्या -105 नं०
कुल रु० 1,03,740.00

रु० एक लाख तीन हजार सात सौ चालिस मात्र

अधिशासी अभियंता
सिंचाई खण्ड, पी.एम.जी.एस.वाई, पुरोला

प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बड़कोट (उत्तरकाशी)

Raman
Assistant Engineer
P.M.G.S.Y. Irrigation Division
Purola (Uttarkashi)

Amr
प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बड़कोट

Shri
तहसिलदार
पुरोला।

13
प्रभु विलाधिकारी
पुरोला
उत्तरकाशी

टॉस वन प्रभाग, पुरोला

प्रारूप-52

परियोजना का नाम :-

जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नौगाँव-पुरोला मोटर मार्ग के कि०मी० 2 से थली गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रस्तावित परियोजना के लिये प्रत्यावर्तित की जाने वाली वन भूमि का आर०सी०सी० पिलरों द्वारा सीमांकन का प्रावकलन

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि के सीमांकन/सर्वेक्षण हेतु आने वाले व्यय का भुगतान वन विभाग के पक्ष में किया जायेगा।

क्र.स.	कार्य का नाम	इकाई/संख्या	नपत मीटर में			मात्रा	इकाई	दर (रु० में)	धनराशि (रु० में)
			ल०	चौ०	ऊँचाई				
1	आर०सी०सी० पिलर निर्माण हेतु बुनियाद खोदना	01	0.45	0.45	0.15	0.03	cum	243.9	7.31
2	आर०सी०सी० पिलर के बेस पर चुना व कोयला डालना	01				LS @2Kg	Kg	35.00	70.00
3	1:2:4 सीमेंट मसाले में आर०सी०सी० पिलर निर्माण	01	0.45	0.45	0.50	0.10	cum	5741.50	581.32
4	आर०सी०सी० कार्य हेतु सरिया कट करना	4 m 12mm dia				3.52	kg	63.34	222.95
5	पिलर में 1:4 मसाले प्लास्टर कार्य	1 X 4	0.45	0.40	-	0.72	sqm	133.40	96.00
6	पिलर पर पिलर संख्या आदि लिखना	01				LS		10.00	10.00
7	पानी की डुलाई आदि					N/A			
	कुल योग								987.50

एक पिलर हेतु

रु० 987.50 अथवा रु० 988.00

टॉस वन प्रभाग, पुरोला के क्षेत्र (2325 मी०) में आर०सी०सी० पिलरों की कुल संख्या -31 नं०
कुल रु० 30,628.00

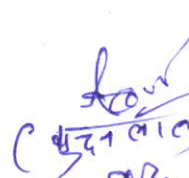
रु० तीस हजार छः सौ अठाइस मात्र

अधिशाली अभिर्यता
सिंचाई खण्ड, पी.एम.जी.एस.वाई, पुरोला

प्रभागीय वनाधिकारी
टॉस वन प्रभाग, पुरोला

तहसीलदार
पुरोला।


Assistant Engineer
P.M.G.S.Y. Irrigation Division
Purola (Uttarakashi)


वन क्षेत्राधिकारी
पुरोला


जिलाधिकारी
पुरोला
उत्तरकाशी


उप प्रभागीय वनाधिकारी
टॉस वन प्रभाग,
पुरोला


(संदीप कुमार)
उप वन संरक्षक
टॉस वन प्रभाग, पुरोला

प्रारूप-52 (क)

परियोजना का नाम :- जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नौगोंव-पुरोला मोटर मार्ग के कि०मी० 2 से थली गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण।

आर०सी०सी० पिलरों के व्यय को वहन करने हेतु प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि के सीमांकन/सर्वेक्षण हेतु पिलरों के निर्माण में आने वाले व्यय का भुगतान सिंचाई खण्ड, पी.एम.जी.एस.वाई, पुरोला द्वारा अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट तथा टौंस वन प्रभाग पुरोला के पक्ष में पृथक रूप से किया जायेगा।



Assistant Engineer
P.M.G.S.Y. Irrigation Division
Purola (Uttarkashi)



अधिशास्त्री अभियंता
सिंचाई खण्ड, पी.एम.जी.एस.वाई, पुरोला



परियोजना का नाम :-

जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नौगोंव-पुरोला मोटर मार्ग के कि०मी० 2 से थली गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण।

(वन भूमि लीज पर दिये जाने/लीज नवीनीकरण के प्रकरणों में लागू)
लीज अवधि का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना हेतु प्रस्तावित वन भूमि वर्षों की लीज पर ली जानी प्रस्तावित है।

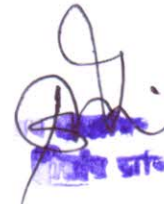
प्रस्तावित परियोजना हेतु वनभूमि लीज पर नहीं ली जानी है, तथा मार्ग निर्माण हेतु हस्तान्तरित की जानी है। अतः लागू नहीं।

अधिशाली अभियंता
सिंचाई खण्ड, पी.एम.जी.एस.वाई, पुरोला

प्रभागीय वनाधिकारी
टैंस वन प्रभाग, पुरोला

प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वनप्रभाग बड़कोट


Assistant Engineer
P.M.G.S.Y. Irrigation Division
Purola (Uttarkashi)


प्रभागीय वनाधिकारी




वन क्षेत्राधिकारी
पुरोला


तहसीलदार
पुरोला।

प्रभागीय वनाधिकारी
टैंस वन प्रभाग,
पुरोला


(संदीप कुमार)
उप वन संरक्षक
टैंस वन प्रभाग, पुरोला


उप विलाधिकारी
पुरोला
विभाग उत्तरकाशी

प्रारूप-54

परियोजना का नाम :-

जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नौगाँव-पुरोला मोटर मार्ग के कि०मी० 2 से थली गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर व संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है।

अधिशाली अभियंता
सिंचाई खण्ड, पी.एम.जी.एस.वाई, पुरोला

प्रभागीय वनाधिकारी
टौंस वन प्रभाग, पुरोला

प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
(उत्तरकाशी)


Assistant Engineer
P.M.G.S.Y. Irrigation Division
Purola (Uttarkashi)


प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
(उत्तरकाशी)



प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बडकोट


वन देखरेख अधिकारी
पुरोला


तहसीलदार
पुरोला

प्रभागीय वनाधिकारी
गोन्स वन प्रभाग,
पुरोला


(संदीप कुमार)
उप वन संरक्षक
टौंस वन प्रभाग, पुरोला


उप निवाधिकारी
पुरोला
उत्तरकाशी

परियोजना का नाम :- जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नौगोंव-पुरोला मोटर मार्ग के कि०मी० 2 से थली गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना हेतु कैचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना के जलसमेत क्षेत्र के समेकित उपचार हेतु वन विभाग द्वारा तैयार की गई कैचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान (CAT PLAN) के क्रियान्वयन हेतु कैट प्लान में उल्लिखित धनराशि का भुगतान वन विभाग को उनकी माँग के अनुसार यथासमय किया जायेगा।

लागू नहीं।

अधिशाली अभियंता
सिंचाई खण्ड, पी.एम.जी.एस.वाई, पुरोला

प्रभागीय वनाधिकारी
टौंस वन प्रभाग, पुरोला

प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वनप्रभाग बड़कोट

Ruman

Assistant Engineer
P.M.G.S.Y. Irrigation Division
Purola (Uttarkashi)

सिंचाई अधिकारी
पुरोला।

प्रभागीय वनाधिकारी
टौंस वन प्रभाग,
पुरोला

प्रभागीय वनाधिकारी
पुरोला
विभाग उत्तरकाशी

(संदीप कुमार)
उप वन संरक्षक,
टौंस वन प्रभाग, पुरोला

प्रारूप-56

परियोजना का नाम :-

जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नौगौंव-पुरोला मोटर मार्ग के कि०मी० 2 से थली गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण।

भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पर्यावरणीय स्वीकृती (यदि लागू हो) संलग्न की जाय।

लागू नहीं।

अधिकांशी अभियंता
सिंचाई खण्ड, पी.एम.जी.एस.वाई, पुरोला

प्रभागीय वनाधिकारी
टैंस वन प्रभाग, पुरोला

प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वनप्रभाग बड़कोट




Assistant Engineer
P.M.G.S.Y. Irrigation Division
Purola (Uttarkashi)


प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वनप्रभाग बड़कोट




वन क्षेत्राधिकारी
पुरोला


तहसीलदार
पुरोला।


प्रभागीय वनाधिकारी
टैंस वन प्रभाग,
पुरोला


(सन्दीप कुमार)
उप वन संरक्षक
टैंस वन प्रभाग, पुरोला


जिलाधिकारी
पुरोला
उत्तरकाशी

प्रारूप-57

कालातीत लीजों के नवीनीकरण हेतु प्रपत्र

पट्टा जिन्हें पहले वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत मंजूरी दी गई है के सम्बन्ध में राज्य सरकारों और राज्य प्राविधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमोदन लेने का फार्म।

भाग-1

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरा जाना है)

1. पत्र संख्या और तारीख जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार ने वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत मंजूरी दी है। (प्रति संलग्न करें)
2. परियोजना के विवरण :-
 - (1) प्रस्ताव और परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण, जिसके लिये वन भूमि अपेक्षित है।
 - (2) 1:50,000 के स्केल मैप पर वन के आस-पास की सीमा को दर्शाने वाला मानचित्र।
 - (3) परियोजना की लागत।
3. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार ब्यौरा (जो पहले से ही ले ली है या लिए जाने वाली है)।
4. अनुदेशों के अन्तर्गत आवश्यक रूप से संलग्न किये जाने वाले प्रमाण-पत्रों/दस्तावेजों का ब्यौरा।

हस्ताक्षर
(नाम बड़े अक्षरों में)
P.M.C.S.Y. Irrigation Division
पदनाम
Pitrola (Uttarkashi)
पता (प्रयोक्ता एजेन्सी का)

तारीख:
स्थान:-



भाग- II
कालातीत लीजों के नवीनीकरण हेतु प्रपत्र
(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)
प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या.....

5- परियोजना/स्कीम का स्थान :-

- i) राज्य/संघ शासित क्षेत्र:
- ii) जिला:
- iii) वन प्रभाग:
- iv) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
- v) वन की कानूनी स्थिति
- vi) वानस्पति का घनत्व
- vii) अखण्डित क्षेत्र में वृक्षों की संख्या प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और ब्यास श्रेणीवार:
- viii) क्या यह राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है (यदि हाँ, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियाँ अनुबन्धित की जाए)

6- क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें। क्या उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं।

7- पूर्व अनुमोदन के दौरान निर्धारित शर्तों के अनुपालन की स्थिति के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट। (संलग्न की जानी।)

8- प्रभाग/जिला प्रोफाइल

- i. जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल।
- ii. जिले का वन क्षेत्र।
- iii. मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र।
- iv. 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिकूल वनीकरण
(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि
(ख) वनेत्तर भूमि पर
- v. तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति
(क) वन भूमि पर
(ख) वनेत्तर भूमि पर

9- कारणों सहित प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के लिए उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिशें।

दिनांक

स्थान.....



हस्ताक्षर
नाम
सरकारी मुहर